

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री अरुणेश जाकड़, व्याख्याता-अंग्रेजी, श्री आर.के. जोशी राउमावि दौसा जन्मतिथि 12.09.1959 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 29.01.2019 को निधन हो चुका है। अतः श्री अरुणेश जाकड़, व्याख्याता-अंग्रेजी, श्री आर.के. जोशी राउमावि दौसा की सेवाएँ दिनांक 29.01.2019 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० अरुणेश जाकड़ के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।




(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/सेवासमाप्ति/2018 दिनांक : 01/03/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि श्री अरुणेश का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित कराने कि कार्यवाही करावे।
6. प्रधानाचार्या, श्री आर.के. जोशी राउमावि दौसा
7. संबंधित आश्रित द्वारा संस्था प्रधान, श्री आर.के. जोशी राउमावि दौसा
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग/संस्थापन सी-2 (ओएसी) को भेज कर लेख है कि श्री अरुणेश जाकड़ डीपीसी 2014-15 (वरिष्ठता क्रमांक 1637/1998-99) चयनित है तदनुसार वरिष्ठता सूची में दर्ज करावें।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर